

2025/526

दिनांक
18.07.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
नरेन्द्रकुमार
बनाम
लुणाराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 330 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
23.06.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.07.2025 को पेश हो। o.	
25.6.2025	वकील वादी ने धारणा - पत्र मिलाव चेकी पेश करते पर पत्रावली को चेकी में लिया गया। वकुलाए फरिछेन उपखण्ड वादी व प्रतिवादी स.ता 5 ने हा।वि। अदातर आकर शाही नामा पेश किया जिसे काउ लरडीक शामिल फरिल किया गया। पत्रावली वादे को जाकर आईन्दा तारीख 20.6.2025 को पेश हो। o.	नरेन्द्रकुमार लुणाराम रमेश्वर लाल शरोज किरण उर्मिला o.
30.6.2025	वकुलाए फरिछेन उपखण्ड/PU माहक मय पेश है। पत्रावली गण 20.6.2025 दिनांक 18.7.2025 को पेश है	
18.7.2025	वकुलाए फरिछेन उपखण्ड। स्टे जनाए पूरा उपरी वरत मुनी वकील पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट करी की मुनी वकील को। जीनामा के आधार पर वाद की डिब्री किया जाता है। पूर्ण विवागपरित निधि भलग से लिखाया जाकर शाहिल फरिल किया जाके पत्रावली नम्बर से कम की जाकर काउ लरडीक तामिल जाहा दाखिल करत हो। o.	o.

